कुलसचिव
Registrar

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया
Jananayak Chandrashekhar University
Ballia

पत्रांक : जेएनसीयू–कु0स0/ सम्बद्धता/249 /2017 दिनांकः 30 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रबंधक/प्राचार्य,
समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध–जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

विषय : **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं का आधार कार्ड सहित विवरण संलग्न कर विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर एवं महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय के पत्रांक **जे0एन0सी0यू0/148/2017 दिनांक 22.09.2017** द्वारा महाविद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरंत मानदेय/तदर्थ एवं संविदा प्रवक्ताओं का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर पर उपर्युक्त विषयक डाटा अपलोड किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप उपलब्ध है। जिसके सम्बन्ध में स्ववित्तपोषित विषयों में कार्यरत/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा उदासीनता प्रदर्शित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है जो अनियमितता/आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों के डाटा को आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य है, जिससे कि ऐसे शिक्षकों का चिन्हांकन किया जा सके जो दो या दो से अधिक महाविद्यालयों में अनुमोदित है।

उपर्युक्त के आलोक में शासन के आदेशानुसार पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अनुमोदित एवं कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं का विवरण उनके आधार कार्ड की सत्यापित छाया प्रति सहित विलम्बतम दिनांक 05.01.2018 तक विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजर पर एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों के अभाव में शैक्षिक सत्र 2017–18 में प्रवेशित छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न कराया जाना सम्भव नहीं होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय **अधिनियम 1973 की धारा 37 (8) एवं (9)** के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यपरिषद के सम्मुख प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बंधित को।
4. सूचना पट्ट।

कुलसचिव